## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## <sup>1</sup>Section 5: Powers of officers

- (1) Subject to such conditions and limitations as the Board may impose, an officer of central tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this Act.
- (2) An officer of central tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this Act on any other officer of central tax who is subordinate to him.
- (3) The Commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be specified in this behalf by him, delegate his powers to any other officer who is subordinate to him.
- (4) Notwithstanding anything contained in this section, an Appellate Authority shall not exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on any other officer of central tax.

www.cggst.com

<sup>1</sup> Enforced w.e.f. 22-06-2017.

## <sup>1</sup>धारा 5 : अधिकारियों की शक्तियां

- (1) कोई केन्द्रीय कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (2) कोई केन्द्रीय कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे केन्द्रीय कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।
- (4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य केन्द्रीय कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

**1** दिनांक 22.06.2017 से प्रभावशील।